# निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
# वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
## पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
| --- | --- | --- |
| 15 / 2025 | 10.03.2025 | 13/11/25 |

श्रीराम पुत्र रतन, मीना निवासी फुलवाडा तह0 वजीरपुर ——वादी

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र कपूर चंद जैन निवासी सूरसागर, गंगापुर सिटी
2. रमेश पुत्र कपूर चंद जैन निवासी सूरसागर, गंगापुर सिटी
3. पवन पुत्र कपूर चंद जैन निवासी सूरसागर, गंगापुर सिटी
4 सुमेर पुत्र कपूर चंद जैन निवासी सूरसागर, गंगापुर सिटी
5. रामलाल पुत्र स्व. पिल्लू, मीना निवासी फुलवाडा तह0 वजीरपुर
6. हरकेश पुत्र मांगी, मीना निवासी फुलवाडा तह0 वजीरपुर
7. श्रीफल पुत्र मांगी, मीना निवासी फुलवाडा तह0 वजीरपुर
8. प्रेम दत्तक पुत्र स्0 रामजीलाल पुत्र कलुआ, मीना निवासी फुलवाडा तह0 वजीरपुर
9. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार वजीरपुर ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री संजय शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

श्री सतीश चंद शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से

## निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि वादी की खातेदारी की भूमि ख0न0 2200 रकबा 0.12 है0, ख0न0 2201 रकबा 0.13 है0 कुल 0.25 है0 ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर मे सिथत है। उक्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है। जिससे अन्य किसी का कोई सम्बन्ध नही है। उक्त खतौनी पर लगे राहिन के नोट मे कपूर चंद पुत्र चिंरजी जैन की मृत्यु हो चुकी है। जिसमे वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है। इसी प्रकार दूसरे राहिनी पिल्लू पुत्र वाला मीना की मृत्यु हो चुकी है। जिसके [illegible] प्रतिवादी संख्या 5 है तथा एक अन्य राहिनी मांगी पुत्र सेडू [illegible] की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 व 7 है। इसी तरह कलुआ [illegible] मीना की भी मृत्यु हो चुकी है। जिसका इकलौता वारिस रामजीलाल [illegible] मीना लाऔलाद फौत हो चुका है। जिसका दत्तक पुत्र प्रतिवादी संख्या 8 है। वादी ने प्रार्थना पत्र तहसीलदर वजीरपुर को प्रस्तुत कर उक्त रहन को हटवाने हेतु निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:39:14 IST
Reason: SelfAttested

किया तो तहसीलदार वजीरपुर ने श्रीमान के न्यायालय मे दावा प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु कहा। इस पर वादी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि वादी की खातेदारी की भूमि ख0न0 2200 रकबा 0.12 है0, ख0न0 2201 रकबा 0.13 है0 ग्राम फुलवाडा की हॉल जमाबंदी से राहिन के समस्त इन्द्राजों को हजफ फरमाकर उक्त भूमि की घोषणा खातेदारी स्वतंत्र रूप से वादी के नाम करे तथा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व अन्य मे वादी के नाम स्वतंत्र रूप से इन्द्राज दुरूस्ती करें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 7 व 9 भी बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए है।

प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से इनके अभिभाषक उपस्थित हुए है। इन्हे जबाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बाद भी इन्होने जबाबदावा प्रस्तुत नही किया है।

प्रतिवादी संख्या 5 पप्पू उर्फ रामलाल पुत्र पिल्लू ने एवं प्रतिवादी संख्या 8 प्रेम पुत्र रामजीलाल, मीना निवासी फुलवाडा पेपट तह0 वजीरपुर ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि मे दर्ज रहन का नोट हटाने मे उन्हे कोई आपत्ति नही होना अंकित किया है।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2074–2077 खाता संख्या 669 ग्राम फुलवाडा, फोटोकॉपी प्रमाणित प्रतिलिपि खतौनी जमाबंदी भूप्रबन्ध विभाग संवत 2039, फोटोकॉपी पत्र क्रमांक 819 दिनांक 30.9.2024 तहसीलदार वजीरपुर मय रिपोर्ट पटवारी फुलवाडा दिनांक 7.6.2024 प्रस्तुत किये है।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

वकील वादी ने अपने वाद के अनुसार बहस करते हुए वादी का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

वकील प्रतिवादी संख्या 6 ने अपनी बहस मे वाद का नियमानुसार निस्तारण करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। फोटोकॉपी नकल खतौनी जमाबंदी भूप्रबन्ध विभाग संवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:39:14 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
वजीरपुर (राज०)

2039 के अनुसार ख0न0 2200 रकबा 0.12 है0, ख0न0 2201 रकबा 0.13 है0 ग्राम फुलवाडा की खातेदारी रतनलाल पुत्र फैन्सी जाति मीना सा0देह खातेदार राहिन कपूरचंद पुत्र चिंरजीलाल जैन मूर्तहिन बाला पुत्र श्रीलाल, मांगी पुत्र सेडू मीना, कलुआराम मीना मुर्तहिन के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2074–77 खाता संख्या 669 मे यह भूमि श्रीराम पुत्र रतनलाल हिस्सा पूर्ण जाति मीना हि0 पूर्ण सा.देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता कपूरचंद पुत्र चिंरजीलाल जैन, पिल्लू पुत्र बाला, मांगी पुत्र सेडू मीना, कलुआराम मीना के नाम दर्ज है। प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त भूमि संवत 2039 मे रहन दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 (2) (3) के अनुसार अनुसूचित जन जाति की भूमि अधिकतम पॉच वर्ष के लिए बंधक रह सकती है। वादग्रस्त भूमि पॉच वर्ष से अधिक अवधि से रहन दर्ज है। ऐसी स्थिति मे नियमानुसार वादग्रस्त भूमि मे दर्ज रहन का इन्द्राज हजफ किया जाना उचित है।

## आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0न0 2200 रकबा 0.12 है0, ख0न0 2201 रकबा 0.13 है0 ग्राम फुलवाडा तह0 वजीरपुर को रहन से मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। इन नम्बरों मे दर्ज रहन का इन्द्राज हजफ किया जाकर भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज रखी जावें। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/11/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( सुधारानी मीना )
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:39:14 IST
Reason: SelfAttested

**Judi/Civil**
**Part IV-10**

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
**(Civil Procecde Code, Appendix D-1)**

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

उनवान

श्रीराम पुत्र रतन, मीना निवासी फुलवाडा तह0 वजीरपुर ——वादी

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र कपूर चंद जैन निवासी सूरसागर, गंगापुर सिटी
2. रमेश पुत्र कपूर चंद जैन निवासी सूरसागर, गंगापुर सिटी
3. पवन पुत्र कपूर चंद जैन निवासी सूरसागर, गंगापुर सिटी
4 सुमेर पुत्र कपूर चंद जैन निवासी सूरसागर, गंगापुर सिटी
5. रामलाल पुत्र स्व. पिल्लू, मीना निवासी फुलवाडा तह0 वजीरपुर
6. हरकेश पुत्र मांगी, मीना निवासी फुलवाडा तह0 वजीरपुर
7. श्रीफल पुत्र मांगी, मीना निवासी फुलवाडा तह0 वजीरपुर
8. प्रेम दत्तक पुत्र स्0 रामजीलाल पुत्र कलुआ, मीना निवासी फुलवाडा तह0 वजीरपुर
9. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार वजीरपुर ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 15/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री संजय शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री सतीश चंद शर्मा एड. मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0न0 2200 रकबा 0.12 है0, ख0न0 2201 रकबा 0.13 है0 ग्राम फुलवाडा तह0 वजीरपुर को रहन से मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। इन नम्बरों मे दर्ज रहन का इन्द्राज हजफ किया जाकर भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज रखी जावें। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख इन्द्राज दुरूस्ती की जावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:38:14 IST
Reason: SelfAttested

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Department of Posts
Government of India
Ministry of Communications

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दायलह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प पर्ची | | |
| महनताना वकील | | | महनतानावकील पर | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत इजराय | | | बाबत इजराय | | |
| हुक्मनामा | | | हुक्मनामा | | |
| मुतफर्रिक | | | मुतफर्रिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

( सुधारानी मीना )
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:39:14 IST
Reason: SelfAttested